मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनांक अक्टूबर, 2013

विषयः—दिनांक 01.01.2012 की स्थिति में सहायक अनुसंधान अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) से अनुसंधान अधिकारी (प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.10.2013 का कार्यवाही विवरण।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :—

1.	प्रो.एन.के. तनेजा सदस्य म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर	अध्यक्ष
2.	श्री राधेश्याम जुलानिया प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
3.	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
4.	श्री एन.के.परिहार, मुख्य कार्मिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य (म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम—11 के प्रावधान अनुसार)

1. प्राधिकार एवं सिद्धांत

यह चयन मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1968 सहपठित मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह पदोन्नतियां वरिष्ठता—योग्यता—(सीनियरिटी—कम—मेरिट) के सिद्धांत पर आधारित है।

2. वरिष्ठता एवं पदक्रम सूचीः—

विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2011 की स्थिति में जारी पदक्रम सूची को पदोन्नति का आधार बनाया गया है। विभाग ने प्रमाणित किया है कि इस वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन अथवा ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है, जिसके पालन के अभाव में बैठक किया जाना युक्तियुक्त न हो।

29.10.13 29.10.13 29/10/13

3. **विचार क्षेत्र**

मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 6 के अनुसार वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता पर आधारित पदोन्नतियों के संबंध में कोई विचारक्षेत्र नहीं रखते हुए वरिष्ठता क्रम के अनुसार अर्हता प्राप्त अधिकारियों के नाम उस सरल कमांक तक देखे गए जिस कमांक तक वांछित उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध हो गए।

4. **संनिष्ठा प्रमाण पत्र**

विचारक्षेत्र में सम्मिलित अधिकारी संनिष्ठा उसके गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्रमाणित की गई है।

5. **अर्हकारी सेवा**

पदोन्नति के लिए केवल उन्हीं अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया जिन्होंने विभाग के भरती नियमों के अनुसार सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर दिनांक 01.01.2012 तक 06 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है।

6. **पदोन्नति की कसौटियां तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के संदर्भ में वर्गीकरण**

(अ) **न्यूनतम कसौटी:—**

1. संनिष्ठा संदेह से परे हो एवं संनिष्ठा प्रमाणित हो।
2. 05 वर्षों (2008–2012) के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन समग्र रूप से 'अच्छा' श्रेणी का हो।

(ब) **गोपनीय रिकार्ड का समग्र वर्गीकरण:—**

3. 05 वर्षों (3/08 से 03/12) का समग्र मूल्यांकन 'अच्छी' श्रेणी का होना चाहिए।
4. जिन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। उन मामलों में विचार के लिए पूर्व के 2 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन देखकर समिति ने मूल्यांकन किया है।
5. यदि गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी द्वारा लिखित भाषा किन्हीं कारणों से अस्पष्ट हो तो संबंधित अधिकारी के समग्र रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने अस्पष्ट प्रतिवेदनों को युक्तियुक्त मूल्यांकन किया। आवश्यकतानुसार मूल्यांकन को संशोधित किया गया।

29.10.13 29.10.13 29/10/13

7. **रिक्तियों की गणना**

दिनांक 01.01.2012 की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी संवर्ग के कुल 09 पद स्वीकृत हैं। जिसमें अनुसंधान अधिकारी के 50 प्रतिशत के पदों की पूर्ति कार्यपालन यंत्री वर्ग से एवं 50 प्रतिशत पद सहायक अनुसंधान अधिकारी से पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान है।

50 प्रतिशत के मान से सहायक अनुसंधान अधिकारी से अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए 04 पद उपलब्ध होते हैं, जिसके विरूद्ध अनारक्षित वर्ग के 03 एवं 01 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। अनारिक्षत वर्ग का 01 पद संविदा से भरा है। इस प्रकार अनारक्षित वर्ग के 02 पदों और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 01 पद की पूर्ति हेतु विचार किया गया।

अनारक्षित

8. **चयन सूची –**

कंडिका–6 में निर्धारित किए गए मापदण्ड के आधार पर समिति ने निम्नांकित अधिकारियों को पदोन्नति हेतु योग्य पाया :–

स.क्र.	दि. 1.4.2011 की स्थिति में प्रकाशित पदक्रम सूची	अधिकारी का नाम
1	9–ए	श्री पी.एस.व्ही.नायर
2	11	श्री हनुमंत राव अड़लक

9. **प्रतीक्षा सूची –**

स.क्र.	दि. 1.4.2011 की स्थिति में प्रकाशित पदक्रम सूची	अधिकारी का नाम
1	12	श्री संतोष कुमार खरे
2	13–ए	डॉ.कृष्णराव पराण्डे

10. **अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी कार्यरत नहीं होने से पद अग्रणित किया गया।**

11. **परिभ्रमण सूची– निरंक**

12. **बंद लिफाफा – निरंक**

(प्रो.एन.के.तनेजा)
सदस्य
लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष

(राधेश्याम जुलानिया)
प्रमुख सचिव
जल संसाधन विभाग
सदस्य

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
सदस्य

(एन.के परिहार)
मुख्य कार्मिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
सदस्य